



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 24 दिसम्बर, 2021

पौष 3, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4

संख्या M-52/52-4-2021-13(एच०)-2017

लखनऊ, 24 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-417

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित द हज कमेटी ऐक्ट, 2002 (ऐक्ट संख्या 36 सन् 2002) की धारा 18 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सम्यक् विचारोपरान्त, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश हज समिति में सदस्यों के नामांकन के संबंध में जारी की गयी अधिसूचना संख्या एच.एस. 27/52-4-2021-13 (एच.एस.)/2017, दिनांक 10.09.2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

पूर्वोक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 से 14 तक की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

- (1) श्री सैय्यद जफर इस्लाम, मा० सांसद, राज्य सभा।
- (2) श्री मोहसिन रजा, मा० सदस्य, विधान परिषद।
- (3) श्री शौकत अली, पार्षद, मेरठ।
- (4) श्री फैसल अली खॉं, पार्षद, लखनऊ।
- (5) श्री मौलाना वकार हैदर, शिया धर्मगुरु, आजमगढ़।
- (6) श्री अमानुल्लाह, मुस्लिम विधि विशेषज्ञ, मिर्जापुर।
- (7) श्री मौलाना हाफिज मो० जावेद, धर्मज्ञ, झांसी।
- (8) श्री सरफराज अली, समाजसेवी, नोयडा।
- (9) श्री मो० इफ्तखार हुसैन, समाजसेवी, गोरखपुर।

- (10) डा० सैय्यद एहतेशाम उल हुदा, समाजसेवी, बरेली।
- (11) श्री सरवर सिद्दीकी, समाजसेवी, भदोही।
- (12) श्री सैय्यद कल्बे हुसैन (कब्बन नवाब) समाजसेवी, लखनऊ।
- (13) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।
- (14) कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति, लखनऊ।

2-नामनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगा।

आज्ञा से,
हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव।